



60



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल अधिकारी महोदय, ग्वालियर

केम्प सागर म.प्र.

॥ निगरानी सागर भू.रा. २०१७/३१६५

1. सुशीला बाई जैन बेबा स्व. श्री तुलसीराम जैन, उम्र 75 साल,
  2. विमल कुमार वल्द स्व. श्री तुलसीराम जैन, उम्र 65 साल,
  3. पप्पू उर्फ रूपमल वल्द स्व. श्री तुलसीराम जैन, उम्र 52 साल,
- सभी निवासी- ग्राम झिला, तहसील राहतगढ, जिला सागर म.प्र.

.... रिवीजनकर्त्ता गण

विरुद्ध

- 1- कम्मोदी लाल वल्द श्री खिलान पटैल उम्र 45 साल
  - 2- मीराबाई पति स्व. श्री नर्बदा प्रसाद पटैल उम्र 50 साल
- सभी निवासी- ग्राम झिला, तहसील राहतगढ, जिला सागर म.प्र.
- 3- म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, सागर म.प्र.

.... अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959  
रिवीजनकर्त्तागण की ओर से निम्नलिखित रिवीजन प्रस्तुत है :-

निम्न न्यायालय तहसीलदार राहतगढ जिला सागर की न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील राहतगढ के द्वारा सीमांकन राजस्व प्रकरण कमांक 127-अ/12 वर्ष 2016-17, आवेदिका मीराबाई, सीमांकन दिनांक 28.06.17, मौजा झिला पटवारी हल्का नंबर 4 राजस्व निरीक्षक मंडल राहतगढ जिला सागर खसरा नंबर 978 में हुये सीमांकन में रिवीजनकर्त्ता के विरुद्ध -

*(Signature)*

B.O.R.  
10/08/17

श्री दीपवीरलाल तिवारी, अधिवक्ता  
सागर  
कार्यालय कम्पेसर, सागर विभाग,  
सागर (म.प्र.)

174  
28/08/17

(६०)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3164

सुशीला विरूद्ध कम्मोदी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक राहतगढ़ के प्रकरण क्रमांक 127/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के. जिन)</p> <p>सदस्य 4.1.19</p>